

।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी - श्री प्यारे लाल शोटवाल, आर०ए०एस०

कैम्प - ग्राम पंचायत नंगला रायसीरा

राजस्व अपील सं० 5/20/2021

ताशेख रज्जु: 14/12/2021

- 01- विरेन्द्र यादव पुत्र स्व० श्री मातादीन यादव जाति अहीर निवासी कटोरी
वाला तिवारा, रायसीरा तहसील अलवर -अपीलाण्ट
- वनाम
- 01- ग्राम पंचायत नंगलारायसीरा पंचायत समिति किशनगढबास तहसील व
जिला अलवर जरिये सरपंच
- 02- नौबत पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी कटोरी वाला तिवारा, रायसीरा
तहसील व जिला अलवर
- 03- रामसिंह पुत्र श्री श्रीराम
- 04- भूपसिंह पुत्र श्री श्रीराम
- 05- ओमप्रकाश पुत्र श्री श्रीराम
जातियान माली निवासीयान देहली हाल निवासी 1/234 केशन नगर
अलीगढ उत्तर प्रदेश
- 06- प्रेमवती पुत्र श्रीराम जाति माली निवासी देहली हाल निवासी 305 साउथ
वेस्ट ब्लॉक, अलवर
- 07- ओमवती पुत्री श्रीराम जाति माली निवासी देहली हाल निवासी ग्राम चोरोटी
पहाडी तहसील रामगढ जिला अलवर -रेस्पोंडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध इंतकाल
संख्या 910 दिनांक 05.04.2017 ग्राम पंचायत नंगला रायसीरा
उपतहसील बहादारपुर तहसील व जिला अलवर

-: निर्णय :-


दिनांक: 30.12.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत नंगला रायसीरा तहसील व जिला अलवर के निर्णय दिनांक 05.04.2017 इंतकाल संख्या 910 के विरुद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 1.08 है०, 652 रकबा 1.11 है०, 675 रकबा 0.20 है०, 676 रकबा 0.01 है०, 677 रकबा 1 है०, 678 रकबा 0.25 है०, 679 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम रायसीरा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी के 1/2 हिस्सा के खातेदार अशोक पुत्र शेरसिंह, नत्थो पुत्र शेरसिंह, लाली पुत्री शेर सिंह व गुड्डो पुत्री शेरसिंह थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से 1/4 हिस्सा रामसिंह, भूपसिंह, ओमप्रकाश पुत्रान श्रीराम, प्रेमवती, ओमवती पुत्रीयान श्रीराम खातेदार दर्ज हो गई। लेकिन सम्पूर्ण वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा के काश्तकार अशोक पुत्र शेरसिंह, नत्थो पुत्र शेरसिंह, लाली पुत्री शेर सिंह व गुड्डो पुत्री शेरसिंह थे, जिस आराजी में से अपनी खातेदारी की आराजी में 1/4 हिस्से का बेचान जर्जे रजिस्टर्ड बैयनामा रमेश, रामप्रताप, नौबत, विरेन्द्र पुत्रान मातादीन को कर


उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

दिया। इसी प्रकार 1/4 हिस्से का बेचान दिनांक 19.12.2010 को जर्दी हस्ताकामा पुरजिम 30,00,000/- रुपये में रमेश, रामप्रताप, नीवत, विरेन्द्र पुरजिम मसालीन को कर दिया। मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया। क्रेतागण अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, सुरेन्द्र चन्दपुत्रान झम्नन थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहायन से पूरण, मातासय्य पुरजिम अर्जुन के खातेदारी में दर्ज हो गई लेकिन सम्पूर्ण वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से के काबिज काश्तकार सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, छोटेलात, सुरेन्द्र पुरजिम झम्नन के जिस आराजी में से अपनी खातेदारी की आराजी में 1/4 हिस्से का बेचान जर्दी रजिस्टर्ड वैयनामा रमेश, रामप्रताप, नीवत, विरेन्द्र पुरजिम मसालीन को कर दिया गया। इस प्रकार 1/4 हिस्से के कब्जे का बेचान दिनांक 19.12.2010 को जर्दी हस्ताकामा पुरजिम 24,00,000/- रुपये में रमेश, रामप्रताप, नीवत, विरेन्द्र पुरजिम मसालीन को कर दिया। मौके पर कब्जा संभलवा दिया। क्रेतागण मौके पर काबिज है।

इस प्रकार के विवादित आराजी के 1/4 भाग के अशोक, मध्या, लारी, गुदरी वारिसान शेरसिंह 1/4 भाग के सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, छोटेलात, सुरेन्द्र वारिसान झम्नन खातेदार काश्तकार थे एवं 1/2 भाग पर मौके पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार थे जिस आराजी से पूरण चन्द, ताराचन्द, पुत्रान अर्जुन एवं रामसिंह, भूपसिंह, ओमप्रकाश, प्रेमवती, ओमवती वारिसान श्रीराम को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं था ओर ना ही मौके पर काबिज काश्तकार थे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो जाने के कारण रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 लगा 7 रामसिंह, भूपसिंह, ओमप्रकाश, प्रेमवती, ओमवती वारिसान श्रीराम के द्वारा बेजा तौर से बिना कब्जा एवं बिना किसी हक व अधिकार के फर्जकारी करते हुए रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड वैयनामा दिनांक 19.01.2011 को तहशीर व तकमील करा दिया। जिस वैयनामा के आधार पर बिना मौके के कब्जे की जांच किये बिना अपीलान्ट को सुने रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए एवं साजबाज होकर इंतकाल संख्या 910 दिनांक 05.04.2017 स्वीकार कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल करा दिया। जो इंतकाल मिन अपीलान्ट के हक हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर एवं शून्य करार दिये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 लगा 7 का वक्त बेचान या उससे पूर्व मौके पर कब्जा व काश्त कमी नहीं रहा ना ही उनका कोई लेना देना व वास्ता रहा। गलत इन्द्राज की आड में रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 लगा 7 द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से मिली भगत करते हुए आराजी का बेचान कर दिया एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से मिली भगत कर नुमायशी वैयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकार करा लिया। जो इंतकाल प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 लगा 7 का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा, जिनके द्वारा आराजी का बेचान दिनांक 19.01.2011 को रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 को किया गया है जिसका इंतकाल दिनांक 05.04.2017 यानि करीब 8 साल बाद स्वीकार कर दर्ज किया गया है। इससे साफ जाहिर व साबित होता है कि जो वैयनामा कराया गया है वह आपस में मिलीभगत व साजबाज होकर केवल मिन अपीलान्ट के हिस्से की आराजी को हडप करने की नियत से कराया गया है जो नुमायशी वैयनामा के 8 साल बाद इंतकाल स्वीकार करना स्वतः ही गलत साबित होता है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल के स्वीकार होने से मिन अपीलान्ट के हक व हकूको पर विपरीत प्रभाव पडता है अपीलान्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिए उक्त इंतकाल संख्या 910 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त इंतकाल की प्रारम्भ से कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 08.02.2019 को


उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

रेस्पोजेण्ट संख्या 2 द्वारा मिन अपीलान्ट को वर्णित आरजी के कब्जे कारत में रुकावट मजाहमत पैदा की। इंतकाल की जानकारी होने पर इंतकाल की नकल हेतु आवेदन किया दिनांक 12.02.2019 को इंतकाल की नकल प्राप्त हुई। वकील साहब से सलाह ली गई, वकील साहब ने अपील करने की सलाह देने पर इंतकाल संख्या 910 दिनांक 05.04.2017 के विरुद्ध अपील पेश की गई। अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं इसके साथ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर इंतकाल संख्या 910 दिनांक 05.04.2017 ग्राम पंचायत नंगला रायसीस को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प नंगला रायसीय में पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट को सुना। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा यथा प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 910, फोटोकापी हलफनामा दिनांक 09.08.2010 अशोक, नथू लाली, गुड्डो पुत्र-पुत्रियान शेरसिंह एवं फोटोप्रति शपथ पत्र दिनांक 19.12.2006 सुरेश चन्द, रमेश चन्द, महेश चन्द, छोटेलाल, सुरेन्द्र पुत्रान झम्मन लाल पर मनन किया। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत नंगला रायसीस के आदेश दिनांक 05.04.2017 इंतकाल संख्या 910 अपास्त किया जाता है। एवं पत्रावली इस निर्देश को साथ नायब तहसीलदार बहादरपुर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत नंगला रायसीस में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल साठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)